13.5.19	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं। बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोषादि, जवाब अप्रार्थीगण, तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वांछित अनुतोष के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज एवं बहस	13/5/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम मानपुरा के साबिक खसरा नम्बर 3 व 4 की स्थिति वहाल की जाकर नक्शा हाल में दुरूस्ती की रिलीफ चाही है। प्रार्थी के पिता के खाते में खसरा नम्बर 4 मि. (रकवा 12) दर्ज थी बाद बन्दोबस्त उक्त भूमि के हाल नम्बर 16, 17, 18, एवं 19 बनाये गये है। प्रार्थी के खाते में हाल खसरा नम्बर 19 सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थी द्वारा नदी के छोर तक नक्शा में दर्शाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा साबिक राजस्व नक्शे की प्रमाणित प्रति पेश नही की है, इसके विपरीत पैराकार सरकार द्वारा गत खसरा नम्बर 4 में किसी प्रकार की तामील नही होने तथा नवीन ख.नं. 16 की भूमि वन विभाग के नाम होने से प्रा० पत्र खारिज करने का अनुरोध करते जवाब पेश किया है साथ ही साथ वन विभाग के जवाब में भी प्रा० पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया है। अर्थात प्रकरण वर्णित भूमि पर यदि नक्शे की दुरूस्ती की जाती	

13/3/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है, तो उन भूमियों के हितबद्ध पक्षकार सहमत नहीं है। L.R. Act. 1956 की धारा 136 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों का सहमत होना भी प्रकरण के पक्ष का एक अंग है। प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसे कोई प्रमाण पेश नहीं किये जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रार्थी के हितों के विपरीत राजस्व अभिलेख में तैयार बंदोबस्त या बाद बन्दोबस्त ऐसी त्रुटि कारित हुई हो, जिसे धारा 136. L.R. Act के तहत दुरूस्त किया जा सके। प्रार्थी द्वारा नक्शे को नदी के छोर तक करने का अनुतोष चाहा है, और यदि प्रार्थी को इस प्रकार का अनुतोष दिया जाता है, तो प्रार्थी को ऐसा अनुतोष उपरान्त समीपस्थ अन्य आराजियात का नक्शा परिवर्तन होना तय है। जिसकी कोई तजवीज भी नहीं है। प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136. L.R. Act 1956 के तहत देय अनुतोष की कुरमित नहीं होता है। प्रार्थी का प्रा० पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी चाहे तो घोषणा एवं दुरूस्ती का वाद पेश कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय आज दिनांक 13.5.2019 को मेरे द्वारा खिलासा जाकर सुनाया गया। 13/5/19 (त्रिभुवननाथ जोशी) R.A.S.	